अध्यादेश 144

च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)

के अंतर्गत

बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकास के साथ चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP)

एवं

संबध्द स्वशासी महाविद्यालयों

के लिए

स्नातक स्तरीय लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क (LOCF)

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रस्तावना

1.1 इस अध्यादेश को चार साल (आठ सेमेस्टर) अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) के लिए अध्यादेश कहा जाएगा जिसमें कई प्रविष्टि और निकास होगें।

1.2 यह अध्यादेश विश्वविद्यालय से संबध्द स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा संचालित सभी स्नातक कार्यक्रमों (कला, विज्ञान,वाणिज्य आदि) पर लागू होगा।

1.3 यह अध्यादेश सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन तथा विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

1.4 यह कार्यक्रम अध्ययन का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा और संबंधित उच्चशिक्षा संस्थान (HEI) द्वारा अधिसूचित तिथि पर प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक परीक्षा होगी।

2. परिभाषा और मुख्य शब्द

2.1 **"विश्वविद्यालय "** अर्थात् हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग

2.2 **"स्वशासी महाविद्यालय"** का अर्थ है यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा अधिसूचित महाविद्यालय

2.3 **"उच्च शिक्षा संस्थान"** (HEI) का अर्थ है एक स्वशासी महाविद्यालय जहां छात्र नामांकित है।

2.4 **"अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क"** UGC का अर्थ है यूजीसी द्वारा समय–समय पर सुझाए गए पाठ्यक्रम का विकल्प आधारित क्रेडिट फ्रेमवर्क।

2.5 **"छात्र"** का अर्थ है, HEI के किसी भी स्नातक कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए किसी भी तरीके से प्रवेशित छात्र।

2.6 **"शैक्षणिक वर्ष"** का अर्थ लगातार दो (एक विषम के बाद एक सम) सेमेस्टर है।

2.7 **"च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम"** (CBCS) का अर्थ है, UGC द्वारा जारी एवं HEI के अधिकारी द्वारा अनुमोदित एक कार्यक्रम जो छात्रों को यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रमों (कोर, वैकल्पिक, कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम, आदि) के चयन करने के लिए विकल्प प्रदान करता है।

2.8 **"पाठ्यक्रम"** का अर्थ है किसी विषय विशेष, पेपर या विषय के विभिन्न माध्यमों से वितरण और अध्ययन की योजना। यह किसी अध्ययन कार्यक्रम का एक घटक है, जैसा कि संबंधित कार्यक्रम संरचना में विस्तार से उल्लेख है।

2.9 **"लेटर ग्रेड"** का अर्थ पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रदर्शन एक सूचकांक है तथा इसे अक्षर O,A+,A,B+,B,C,P,F और Ab द्वारा दर्शाया जाता है।

2.10 **"क्रेडिट"** का अर्थ है एक इकाई जिसके द्वारा पाठ्यक्रम को मापा जाता है। यह प्रति सप्ताह आवश्यक निर्देशों के घंटों की संख्या निर्धारित करता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घंटे के शिक्षण (व्याख्यान, संगोष्ठी या ट्यूटोरियल) या प्रति सप्ताह दो घंटे के प्रायोगिक कार्य/क्षेत्रीय कार्य/परियोजना/आउट–ऑफ–क्लास गतिविधि आदि के बराबर है। एक क्रेडिट में एक सेमेस्टर में 15 घंटे का शिक्षण (व्याख्यान, संगोष्ठी या ट्यूटोरियल) और 30 घंटे का प्रायोगिक कार्य/फील्ड वर्क/प्रोजेक्ट/आउट–ऑफ–क्लास गतिविधि आदि शामिल है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट की संख्या संबंधित परीक्षा योजना में परिभाषित की जाएगी।

2.11 **"ग्रेड प्वाइंट"** का अर्थ है पाठ्यक्रम में अर्जित अक्षर ग्रेड के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम के क्रेडिट पर निर्दिष्ट अंक।

2.12 **"क्रेडिट प्वाइंट"** का अर्थ है किसी कोर्स में प्राप्त ग्रेड प्वाइंट और क्रेडिट की संख्या का गुणनफल।

2.1.3 **"सेमेस्टर ग्रेड पवाइंट औसत"** SGPA का अर्थ है एक सेमेस्टर में पंजीकृत विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट अंकों का अनुपात और सेमेस्टर के दौरान सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट। यह एक अध्ययन के प्रदर्शन को मापता है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाएगा और इसकी गणना परिशिष्ट III के अनुसार की जाएगी।

2.14 **"संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत"** CGPA का अर्थ सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचयी प्रदर्शन का एक पैमाना है। CGPA एक छात्र द्वारा विभिन्न कोर्सेस में अर्जित किए गए कुल क्रेडिट तथा सभी सेमेस्टरों के सभी कोर्सेस में कुल क्रेडिट के योग का अनुपात है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाता है और इसकी गणना परिशिष्ट III के अनुसार की जाएगी।

2.15 **"सेमेस्टर"** का अर्थ आधे साल की अवधि है, जिसमें आम तौर पर 15–18 सप्ताह के शिक्षण दिनों का एक शैक्षणिक सत्र शामिल होता है। विषम सेमेस्टर आमतौर पर जुलाई से दिसंबर तथा सम सेमेस्टर जनवरी से जून तक निर्धारित किया जाता है।

2.16 **"ग्रेड कार्ड"** का अर्थ है अर्जित ग्रेड के आधार पर प्रमाण पत्र। प्रत्येक सेमेस्टर के बाद पंजीकृत छात्रों को ग्रेड प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ग्रेड सर्टिफिकेट में पाठ्यक्रम का विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, अर्जित ग्रेड) के साथ सेमेस्टर का SGPA और उस

सेमेस्टर तक अर्जित CGPA होगा। अंतिम सेमेस्टर ग्रेड प्रमाण पत्र भी सभी सेमेस्टर में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की संचयी कुल अंकों की आबंटित अधिकतम अंकों में से प्रदर्शित करेगा, जिसके लिए कार्यक्रम के ग्रेड का मूल्यांकन किया गया था, जबकि अंतिम परिणाम ग्रेड/सीजीपीए पर आधारित होगा।

2.17 **"स्वयं" (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव–लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स : SWAYAM)** का अर्थ है एक सूचना प्रौद्योगिकी मंच जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित और कियाशील बनाया गया है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम/बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पेशकश करना है।

2.18 **"एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)"** का अर्थ डिजिटल स्टोर हाउस से है, जिसमें विभिन्न मान्यता प्राप्त HEI से किसी छात्र द्वारा अर्जित अकादमिक क्रेडिट शामिल/एकत्रित करता है ताकि HEI की डिग्री अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए प्रदत्त की जा सके।

2.19 **"प्रतिलेख"** का अर्थ प्रोग्राम के सफलतापूर्वक समापन पर सभी नामांकित छात्रों को जारी किया गया प्रमाण पत्र। इसमें सभी सेमेस्टर के SGPA और CGPA उल्लेखित होते है।

2.20 **"शासन"** का अर्थ है छत्तीसगढ़ शासन।

3 कालावधि

3.1 चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) की अवधि आठ सेमेस्टर (चार शैक्षणिक वर्ष) की होगी। कार्यक्रम को पूरा करने की अधिकतम अवधि परिशिष्ट I की तालिका के अनुसार या यूजीसी द्वारा अपने संबंधित विनियमों/दिशा निर्देशों के माध्यम से समय–समय पर निर्धारित कार्यक्रम के किसी विशेष स्तर को पूरा करने की अवधि से दोगुनी होगी। यदि कोई छात्र अधिकतम अवधि के भीतर कार्यक्रम के सभी सेमेस्टर को पूरा करने में असमर्थ है तो वह स्वतः ही कार्यक्रम से बाहर हो जाएगा। विभिन्न स्तरों पर निकास के विकल्प के साथ अध्ययन के कार्यक्रम की अवधि परिशिष्ट I की तालिका अनुसार होगी।

3.2 अधिकतम कुल अवधि में अनुपस्थिति की अवधि, निकासी और विभिन्न प्रकार के अवकाश शामिल होगे,परंतु किसी छात्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लगाया गया, निष्कासन/निलंबन/या किसी अन्य दंड अवधि की अवधि शामिल नहीं होगी।

3.3 अध्ययन के कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों की क्रेडिट आवश्यकताएं परिशिष्ट I की तालिका के अनुसार होंगी।

3.4 अध्ययन के किसी भी स्तर पर कार्यक्रम से निकास के लिए अतिरिक्त आवश्यक क्रेडिट समय–समय पर इससे संबंधित दिशा निर्देशों/विनियमों के माध्यम से यूजीसी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

3.5 कार्यक्रम के दो, चार, छह और आठ सेमेस्टर के सफल समापन के बाद छात्र को अध्ययन/संकाय विशिष्ट के क्षेत्र में परिशिष्ट I की तालिका के अनुसार प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री/अनुसंधान से सम्मानित किया जाएगा जिसके लिए उसका नामांकन किया गया था। इस तरह के सर्टिफिकेट के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट की अनिवार्य आवश्कताएं यूजीसी द्वारा समय–समय पर अपने संबंधित विनियमों/दिशा निर्देशों के माध्यम से निर्धारित की जाएगी।

4 सीटों की संख्या

प्रत्येक कार्यक्रम में सीटों की संख्या सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार होगी, जिसे कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञापित किया जाएगा।

5. प्रवेश प्रकिया और पात्रता

5.1 इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार HEI प्राचार्य द्वारा पर्याप्त समय पूर्व ही प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक प्रवेश समिति गठित कर दी जानी चाहिए। प्रवेश की समस्त प्रकिया का उत्तरदायित्व विधिवत गठित प्रवेश समिति का होगा।

5.2 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश, उच्चशिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन तथा ''प्रवेश के मार्गदर्शी सिध्दांत'' में दिए गए प्रवेश दिशा निर्देश शासन उच्चशिक्षा विभाग द्वारा जारी किसी समतुल्य दस्तावेज के अनुसार होगा।

5.3 अन्य सेमेस्टर में प्रवेश के लिए छात्र को शैक्षणिक कार्यक्रम के अगले सेमेस्टर में विभाग में प्रत्येक सेमेस्टर की शुरूआत में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके तथा आवेदन फार्म जमा करके प्रवेश लेना होगा।

5.4 शासन के नियमानुसार, कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र को संबंधित विषय में राज्य या केन्द्रीय उच्च माध्यामिक शिक्षा बोर्ड या किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त उच्चत्तर माध्यामिक (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए।

5.5 ओबीसी/एससी/एसटी/डीए उम्मीद्वारों के साथ–साथ महिला उम्मीद्वार को प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता में आरक्षण और छूट शासन के नियमों के अनुसार होगी।

6. HEI में नामांकन

कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र का प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व HEI/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रकिया के माध्यम से नामांकन किया जाएगा।

7. अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (UGCF)

7.1 चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYGP) के लिए UGCF के अनुसार Courses/पाठ्यक्रम निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करके संबंधित BOS और HEI की शैक्षणिक परिषद द्वारा तैयार और अनुमोदित किया जाएगा :

(i) पाठ्यक्रम क्रेडिट सिस्टम पर आधारित होंगे।

(ii) HEI द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रोग्राम लर्निंग आउटकम (PLO/PO) और प्रत्येक पाठ्यक्रम में कोर्स लर्निंग आउटकम (CLO/CO) शामिल होगा। PLO और CLO स्नातक शिक्षा के लिए यूजीसी द्वारा तैयार LOCF के मानदंड अनुसार डिजाईन किया जायेगा।

(iii) UGCF के पास क्रेडिट के साथ पाठ्यक्रम होगे जैसा कि परिशिष्ट II की तालिका में निर्दिष्ट है या जैसा कि यूजीसी द्वारा समय–समय पर अपने संबंधित

विनियमों/दिशा निर्देशों के माध्यम से निर्धारित किया गया है। इस तालिका को प्रत्येक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट के साथ नमूना तालिका के रूप में माना जाएगा, हालांकि प्रत्येक सेमेस्टर में वास्तविक क्रेडिट परिशिष्ट– I की तालिका के अनुसार या यूजीसी द्वारा समय–समय पर संबंधित विनियमों/दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित किए गए अनुसार भिन्न हो सकते है।

7.2 प्रत्येक संकाय अपने पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित श्रेणियों के कोर्सेस संचालित करेंगे–

(i) **डिस्सिपलिन स्पेसिफिक कोर पाठ्यक्रम** (DSCC): DSCC पाठ्यक्रम के ऐसे कोर्स है, जिसे छात्र अपने अध्ययन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से अध्ययन करेंगे। DSCCs उस संकाय विशेष के मुख्य क्रेडिट पाठ्यक्रम होंगे, जिसे समुचित रूप से वर्गीकृत कर विभिन्न सेमेस्टरों में व्यवस्थित किया जायेगा, जिसे छात्र द्वारा बहुनिकास विकल्पों के साथ अध्ययन कर सकेगें। फ्रेमवर्क में निर्दिष्ट DSCCs को संबंधित विभाग मुख्य कोर्स में पढ़ाये जाने वाले कोर्सेस के रूप में चिन्हित करेगें।

(ii) **"डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव"** (DSE) कोर्स : DSEs उस संकाय विशेष के क्रेडिट कोर्सेस का एक समूह होगा, जिसे एक छात्र अपने संकाय विशेष के अध्ययन करने के लिए चुनता है। DSEs का समूह होगा, जिसमें से छात्र अध्ययन के लिए एक कोर्स चुन सकता है। फ्रेमवर्क में निर्दिष्ट DSEs से, HEI के संबंधित विभाग के द्वारा पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम के लिए इलेक्टिव कोर्सेस के रूप में चिन्हित करेगें।

(iii) **"जेनेरिक इलेक्टिव"** (GE) : GE कोर्सेस का एक ऐसा समूह होगा जो छात्रों को बहु–विषयक या अंतःविषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए है। GEs विभिन्न अध्ययन संकायों (मूल संकायों को छोड़कर) द्वारा सम एवं विषम सेमेस्टरों में प्रस्तावित विषयों का समूह है जिसमें छात्र चुन सकते है। फ्रेमवर्क में निर्दिष्ट GEs को संबंधित विभाग द्वारा पढ़ाये जाने वाले कोर्सेस के रूप में चिन्हित करेगें।

टीप :– किसी संकाय/विषय में पढ़ाये जाने वाले मुख्य पाठ्यक्रम को अन्य संकाय द्वारा GEs कि रूप में चुना जा सकता है।

iv. **"एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स" (AEC) :** AEC पाठ्यक्रम ज्ञान का उद्देश्य भाषा, साहित्य, पर्यावरण विज्ञान और सतत् विकास के अध्ययन के माध्यम से ज्ञान संवर्धन है, जो सभी संकायों में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होगा।

v. **"स्किल एनहांसमेंट कोर्स" (SEC) :** SEC, पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कौशल–आधारित पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रायोगिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। SEC पाठ्यक्रमों को कौशल प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रमों के समूह से चुना जा सकता हैं।

vi. **"वैल्यू एडिशन कोर्स" (VAC) :** VAC कोर्सेस वैल्यू बेस्ड कोर्स होते है, जिनका उद्देश्य नैतिकता, सांस्कृतिक, संवैधानिक मूल्यों, सॉफ्ट स्किल्स, खेल, शिक्षा और इसी तरह के मूल्यों को छात्रों में अंतर्निष्ठ करना, जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद हो।

vii **"शोध प्रबंध/परियोजना":** विशेष/उन्नत ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया एक पाठ्यक्रम, जैसा कि एक परियोजना कार्य के लिए पूरक अध्ययन/समर्थन अध्ययन जिसे छात्र

एक शिक्षक/संकाय सदस्य के पर्यवेक्षण में स्वयं अध्ययन करता है, शोध प्रबंध/परियोजना कहलाता है।

viii **"इंटर्नशिप" :** एक कोर्स जिसमें छात्रों को पेशेवर रोजगार से संबंधित गतिविधि या कार्य अनुभव, या सहयोगी शिक्षा गतिविधि के लिए एक बाहरी संस्था के साथ शिक्षा संस्थान, आमतौर पर दी गई बाहरी संस्था के एक कर्मचारी की देखरेख में भाग लेने व पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। इंटर्नशिप का एक प्रमुख पहलु वास्तविक कार्य स्थितियों में शामिल होना है। इंटर्नशिप में न सिर्फ छात्रों को सीखने के व्यवहारिक पक्ष के लिए सक्रिय रूप से अवसर प्रदान करना शामिल है, अपितु स्थानीय उद्योग, व्यवसायों, कलाकारों, शिल्पकारों आदि के साथ काम करना भी आवश्यक है।

7.3 विभिन्न श्रेणियों में पाठ्यक्रम (जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है) UGCF में FYUP के लिए पाठ्यचर्या घटक ऐसे होंगे जो यूजीसी द्वारा समय–समय पर अपने विनियमों/दिशा निर्देशों के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं।

8. SWAYAM कोर्सेस

8.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ''स्वयं'' (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव–लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स : SWAYAM) विनियम, 2021 के अनुसार, उच्चशिक्षा संस्थान के किसी विशेष कार्यक्रम में प्रस्तावित किए जा रहे कुल कोर्सेस में से प्रति सेमेस्टर स्वयं प्लेटफार्म के केवल चालीस प्रतिशत तक की अनुमति दे सकता है।

8.2 SWAYAM प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाने वाले क्रेडिट कोर्स के ऑनलाइन शिक्षण के उचित और सुचारू संचालन के लिए, HEI यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भौतिक अधोसंरचना जैसे कम्प्यूटर सुविधाएं, पुस्तकालय, आदि मुफ्त और पर्याप्त मात्रा में अन्य सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराये जाये।

8.3 HEI की शैक्षणिक परिषद छात्र द्वारा स्वयं के माध्यम से अर्जित क्रेडिट के हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है।

8.4 HEI की शैक्षणिक परिषद, क्रेडिट ट्रांसफर के लिए विभाग के प्रमुख की सिफारिश पर SWAYAM प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन क्रेडिट कोर्सेस को मंजूरी देने के लिए संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष को अनुमति दे सकता है।

8.5 संबंधित विभाग प्रत्येक सेमेस्टर के शुरू होने से पहले छात्रों द्वारा चुने जाने वाले पाठ्यक्रमों की सूची संकलित और तैयार करेगा।

8.6 SWAYAM आधारित पाठ्यक्रम की क्रेडिट मोबिलिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव–लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स : SWAYAM) के विनिमय, 2021 अनुसार होगी।

8.7 HEI छात्रों को पंजीकरण से क्रेडिट पाठ्यक्रम पूरा होने तक मार्गदर्शन हेतु संकाय सदस्य को एक मेन्टर/फैसिलिटेटर के रूप में नामित करेगा।

8.8 छात्र SWAYAM के माध्यम से चुने गए कोर्स के द्वारा अर्जित क्रेडिट का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। इस अध्यादेश के खंड 8.3 के अनुसार इस तरह के क्रेडिट को ग्रेड प्वाइंट या उचित पैमाने में परिवर्तित किया जाएगा।

8.9 SWAYAM के अतिरिक्त, छात्र यूजीसी (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य पंजीकृत HEI से क्रेडिट अर्जित कर सकते है, और यह पंजीकृत HEI इस क्रेडिट को उस HEI को स्थानांतरित करेगा जहां छात्र का नामांकन है।

9. उपस्थिति और परीक्षा में बैठने की पात्रता

सेमेस्टर अंत परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्र का सेमेस्टर के दौरान आयोजित कक्षाओं की कुल संख्या के 75 % की न्यूनतम उपस्थिति होनी चाहिए, जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक/ट्यूटोरयल आदि शामिल हैं। हालांकि 60 % से अधिक या 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की पात्रता के लिए संस्था प्रमुख को आवेदन करना होगा। उचित विचार के बाद उच्च शिक्षा संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है।

10. सतत आतंरिक मूल्यांकन

10.1 सतत् आतंरिक मूल्यांकन प्रत्येक कोर्स के लिए आबंटित कुल अंकों के 20% अंकों का होगा।

10.2 प्रत्येक कोर्स के कुल अंकों में से 80% अंक सेमेस्टर अंत परीक्षाओं के लिए आबंटित किया

जाएगा और 20 % अंक सेमेस्टर के दौरान सतत् आतंरिक मूल्यांकन के लिए आबंटित किया जाएगा।

10.3 प्रत्येक कोर्स के लिए सतत् आतंरिक मूल्यांकन के घटक इस प्रकार है :

विशिष्ट	कुल अंकों का % अंक
आतंरिक मूल्यांकन	10 %
संगोष्ठी/प्रश्नोतरी/ग्रुप डिस्कशन/फील्ड अध्ययन या कोई अन्य गतिविधि	10 %
कुल	20%

10.4 अकादमिक कैलेंडर के अनुसार दो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं आयोजित की जायेगी।

आतंरिक मूल्यांकन के अंकों के लिए दोनों मूल्यांकनों में से अधिक अंक वाले मूल्यांकन का अंक मान्य होगा। परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका छात्रों को दिखाई जाएगी और किसी भी स्पष्टीकरण/शंका का समाधान संबंधित शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

10.5 छात्रों के जानकारी के लिए आतंरिक मूल्यांकन के अंक सेमेस्टर अंत परीक्षा से पहले नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

10.6 सत्त आतंरिक मूल्यांकन की समय सारिणी उच्चशिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार होगा, तथा सेमेस्टर के प्रारंभ में छात्रों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। सतत् मूल्यांकन पूरे सेमेस्टर में समान समयावधि में आयोजित किए जाने चाहिए।

10.7 प्रत्येक विभाग अपने कम से कम तीन सदस्यों वाली एक परीक्षा समिति का गठन करेगा, जो आतंरिक मूल्यांकन से जुड़े सभी कार्यों की देखरेख करेगा। विभागाध्यक्ष इस समिति के पदेन अघ्यक्ष होंगे।

10.8 वृहद परियोजना/लघु परियोजना/शोध प्रबंध/फील्ड प्रोजेक्ट के लिए आतंरिक मूल्यांकन नहीं होगा एवं ATKT छात्रों के संबंध ये अंक यथावत अग्रेषित कर दिए जायेगें। किसी भी परिस्थिति में ATKT छात्रों के लिए आतंरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने का कोई भी प्रावधान नहीं होगा।

10.9 सेमेस्टर अंत परीक्षा और आतंरिक मूल्यांकन का पैटर्न HEI की अकादमिक परिषद द्वारा तय किया जाएगा।

11. निर्देशों का माध्यम

भाषा पाठ्यक्रमों को छोड़कर सामान्य रूप से सभी निर्देशों का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी भाषा में होगा, यद्यपि किसी विशिष्ट प्रोग्राम के लिए निर्देश और परीक्षा का माध्यम HEI तय कर सकता है, तथा ऐसी स्थितियों में निर्देशों का माध्यम HEI के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

12. परीक्षा और मूल्यांकन

12.1 प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित कोर्सेस के मूल्यांकन के द्वारा किया जायेगा। किसी प्रोग्राम में प्रवेशित छात्रों का मूल्यांकन निम्नानुसार होगा –

(i) सेमेस्टर अंत में परीक्षा – कुल अंकों का 80% अंक तथा

(ii) सतत आतंरिक मूल्यांकन – कुल अंकों का 20% अंक

12.2 सेमेस्टर अंत की परीक्षाएं उच्चशिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कलैण्डर के अनुसार होगी तथा सेमेस्टर अंत परीक्षा (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल) की अवधि तीन घंटे की होगी। आतंरिक मूल्यांकन परीक्षा की अवधि HEI की अकादमिक परिषद द्वारा तय की जाएगी।

12.3 प्रत्येक सेमेस्टर के किसी प्रोग्राम को उत्तीर्ण करने के लिए ना सिर्फ प्रत्येक कोर्स में (आतंरिक और बाहरी दोनों अंकों सहित) न्यूनतम 40% अंक, अपितु प्रत्येक सेमेस्टर में समग्र रूप से भी न्यूनतम 40% अंक होने चाहिए।

12.4 प्रत्येक प्रोग्राम के प्रत्येक सेमेस्टर में क्रेडिट की एक निर्दिष्ट संख्या होगी। छात्र द्वारा संतोषजनक रूप से उत्तीर्ण किए गए ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट की संख्या छात्र के प्रदर्शन को प्रदर्शित करेगी।

12.5 सेमेस्टर परीक्षा परिणामों की निम्नलिखित श्रेणियां होगी :

(i) उत्तीर्ण, अर्थात्, जो सेमेस्टर परीक्षा के सभी कोर्सेस में उत्तीर्ण हुए हैं।

(ii) प्रोन्नत, अर्थात् जो सेमेस्टर परीक्षा के सभी कोर्सेस में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, परंतु n-2 कोर्सेस में उत्तीर्ण है। यहॉ n एक सेमेस्टर में कुल कोर्सेस की संख्या है।

(iii) Detained अर्थात् जिन्हें उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार प्रोन्त्त नहीं किया जाएगा, उन्हें detained किया जाएगा। ऐसे छात्रों को अध्यादेश के अनुसार परिभाषित प्रोग्राम की अधिकतम अवधि तक शुल्क का भुगतान करके अगले शैक्षणिक सत्र में उसी सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन हेतु पुनः प्रवेश की पात्रता होगी।

12.6 प्रथम सेमेस्टर में Detained किया गया/ कम उपस्थिति के कारण परीक्षा से वंचित/परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया/आवेदित लेकिन परीक्षा में उपस्थित नहीं होने वाले छात्र उक्त प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। ऐसे छात्रों को अगले सत्र में पूर्व छात्र (Ex. Student) के रूप में HEI द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश की पात्रता होगी।

13. प्रोन्नति नियम

13.1 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद छात्र द्वितीय सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है। यदि छात्र प्रथम सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण नही हो तो द्वितीय सेमेस्टर में स्थायी प्रवेश देकर उन्हें प्रोन्नत कर दिया जायेगा।

13.2 द्वितीय सेमेस्टर के तुरंत बाद तृतीय सेमेस्टर में छात्र अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है। उसका प्रवेश स्थायीकरण एवं तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नति कर दी जायेगी यदि उसके प्रथम सेमेस्टर में दो से अधिक अनुत्तीर्ण पेपर न हो साथ ही द्वितीय सेमेस्टर में भी दो से अधिक अनुर्त्तीण पेपर न हो।

13.3 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद छात्र चतुर्थ सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है। उसके प्रवेश की पुष्टि और उसे चतुर्थ सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते कि छात्र ने प्रथम सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों को पास कर लिया हो एवं द्वितीय तथा तृतीय प्रत्येक सेमेस्टर में दो से अधिक पेपर में अनुत्तीर्ण न हो।

13.4 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद छात्र पंचम सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है और उसके प्रवेश की पुष्टि उपरांत उसे पंचम सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा, बशर्ते कि उसके तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में दो–दो से अधिक अनुत्तीर्ण पेपर न हो साथ ही छात्र ने पहले एवं दूसरे सेमेस्टर के सभी पेपर पास कर लिए हो।

13.5 पंचम सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद छात्र 6वें सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है और उसके प्रवेश की पुष्टि उपरांत उसे छठवें सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जा सकेगा, बशर्ते कि उसके चौथा सेमेस्टर और पाचवें सेमेस्टर में दो–दो से अधिक बैक पेपर न हों, साथ ही छात्र ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के सभी पेपर्स को उत्तीर्ण कर लिया हो।

13.6 सम सेमेस्टर की ATKT परीक्षा सम सेमेस्टर के साथ आयोजित की जाएगी उसी प्रकार विषम सेमेस्टर की ATKT परीक्षा विषम सेमेस्टर के साथ आयोजित की जाएगी।

13.7 पंचम सेमेस्टर की एक विशेष ATKT परीक्षा, छठवें सेमेस्टर के साथ उन छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी, जो पंचम सेमेस्टर में अधिकतम दो पेपर में अनुत्तीर्ण है। साथ ही उसने चतुर्थ सेमेस्टर तक के सभी पेपर्स को उत्तीर्ण कर लिया हो।

13.8 सेमेस्टर परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद छठवें सेमेस्टर की एक विशेष ATKT परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल वे छात्र जो केवल छठवें सेमेस्टर में दो या दो से कम पेपर्स में अनुत्तीर्ण है, वे इस विशेष ATKT परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

13.9 कोई छात्र सातवें सेमेस्टर (स्नातकोत्तर के चौथे वर्ष) में प्रवेश तभी ले सकता है जब छठवे सेमेस्टर तक के सभी सेमेस्टर में 7.5 सीजीपीए या उच्चतर या समकक्ष प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हुए हों।

13.10 सातवें सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद छात्र आठवें सेमेस्टर (यूजी के चौथे वर्ष) में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है। उसके प्रवेश की पुष्टि एवं उसे आठवें सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, बशर्ते कि वह सातवें सेमेस्टर में दो से अधिक पेपर्स में अनुत्तीर्ण न हो।

13.11 सातवें सेमेस्टर की एक विशेष ATKT परीक्षा आठवें सेमेस्टर के साथ उन छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी जो सातवें सेमेस्टर में दो या दो से कम पेपर में अनुत्तीर्ण है।

13.12 सेमेस्टर के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद आठवें सेमेस्टर की एक विशेष ATKT परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल वे छात्र जो सातवें सेमेस्टर में दो या दो से कम पेपर्स में अनुतीर्ण हैं वो सेमेस्टर की इस विशेष ATKT परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होंगे।

13.13 चतुर्थ वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व छात्र को चतुर्थ वर्ष के लिए ऑनर्स पाठ्यक्रम का चयन करना होगा, जिसके लिए संबंधित विभाग छात्रों को ऑनर्स विषय चुनने के लिए अधिसूचित करेगा एवं सीटों की उपलब्धतता तथा अन्य मानदंडों के अनुसार उसका प्रवेश सुनिश्चित कर सकेगा।

13.14 यदि कोई छात्र बैकलॉग को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे कार्यक्रम के लिए अधिसूचित अधिकतम अवधि में पूर्ण करने हेतु बैकलॉग पेपर्स के उत्तीर्ण होने तक रोके रखा जाएगा, जिसे वह एक पूर्व छात्र के रूप में अगली उपयुक्त परीक्षा में प्रयास कर सकता है। ऐसे पूर्व छात्रों के आतंरिक अंकों को उसी कोर्स के लिए यथावत रखा जाएगा, जिसमें वह एक पूर्व छात्र के रूप में उपस्थित हो रहे हैं।

13.15 बैक पेपरों की गणना थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पेपर्स को मिलाकर की जायेगी।

14 परीक्षा परिणाम तैयार करना

एक छात्र जिसने I,II,III,IV,V,VI,VII और VIII सेमेस्टर के सभी कोर्सेस में उत्तीर्ण है और कम से कम 4.0 का CGPA प्राप्त किया है, उसे 'उत्तीर्ण' घोषित किया जाएगा। अध्ययन के प्रत्येक स्तर के कार्यक्रम के सफलता पूर्वक समापन के पश्चात् परिशिष्ट–I की तालिका के अनुरूप निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार उसे डिविजन प्रदान किया जाएगा।

I डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी : CGPA $\geq$ 7.50

II प्रथम श्रेणी : CGPA $\geq$ 6.00, लेकिन $<$ 7.50

III द्वितीय श्रेणी : CGPA $\geq$ 4.5 लेकिन $<$ 6.00

IV तृतीय श्रेणी : CGPA $\geq$ 4 लेकिन $<$ 4.5

15 SGPA, CGPA की गणना और प्रतिलेख (ट्रांसक्रिप्ट)/मार्कशीट का प्रारूप

15.1 SGPA और CGPA की गणना परिशिष्ट – III में दिए गए फॉर्मूले के अनुसार की जा सकेगी।

15.2 परिशिष्ट–III की तालिका में प्रदर्शित लेटर ग्रेड और संबंधित अंकों के प्रतिशत के आधार पर परिशिष्ट–IV में दिखाए गए टेम्पलेट के अनुसार या डिजीलॉकर द्वारा प्रस्तुत किए गए टेम्पलेट के अनुसार प्राप्त अंक, ग्रेड अंक, SGPA तथा CGPA के साथ ही छात्र के अन्य विवरणों के सहित छात्र को ट्रांसक्रिप्ट जारी किया जाएगा। HEI प्रत्येक सेमेस्टर के लिए ट्रांसक्रिप्ट या अंकसूची के साथ ही सभी सेमेस्टर के परिणामों के साथ एक समेकित ट्रांसक्रिप्ट जारी करेगी। SGPA और CGPA के पत्र ग्रेड और सूत्रों का विवरण ट्रांसक्रिप्ट/मार्कशीट के पीछे मुद्रित किया जाएगा।

16. प्रतिशत में रूपांतरण

SGPA को अंकों के संबंधित प्रतिशत (P) में बदलने के लिए रूपांतरण सूत्र

निम्नानुसार होगा –

$P = 10 \times SGPA$

17. सामान्य

17.1 किसी अध्ययन प्रोग्रम को एक बार छात्र द्वारा पास कर लेने के बाद उसी प्रोग्राम को दोहराने या उसमें सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

17.2 पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नही होगा। हालांकि, **नियम के अनुसार** री–टोटलिंग की अनुमति है।

17.3 किसी प्रोग्रम की प्रावीण्य सूची विश्वविद्यालय के कंडिकाओं/अध्यादेश के अनुसार तय की जाएगी और HEI द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

17.4 ABC एवं बहुस्तरीय प्रवेश तथा निकास से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस अध्यादेश में शामिल नहीं हैं, UGC (उच्चशिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 के प्रावधानों और HEIs में क्रमशः शैक्षणिक कार्यक्रम में बहु प्रवेश और निकास के लिए UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

17.5 UGCF से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस अध्यादेश के तहत कवर नहीं किया गया है, वह UGC द्वारा समय–समय पर अपने संबंधित विनियमों/दिशा निर्देशों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

18 व्याख्या

इस अध्यादेश के प्रावधानों की व्याख्या के किसी भी मामले में, मामला कुलपति को भेजा जाएगा जो विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद के अध्यक्ष है। उसका निर्णय अंतिम होगा। साथ ही यदि इस अध्यादेश में शामिल नहीं किए गए मामलों से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उपयुक्त अधिनियम/कानून/अध्यादेश/विनियम/नियम/विश्वविद्यालय या UGC द्वारा जारी अधिसूचना में किए गए प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

परिशिष्ट I

तालिका : प्रोग्राम अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर निकास के चरण एवं आवश्यक क्रेडिट्स का विवरण

कार्यक्रम का स्तर	डिग्री का प्रकार	निकास का चरण	पुरस्कार के लिए सुरक्षित किए जाने वाले अनिवार्य क्रेडिट
5	स्नातक प्रमाण पत्र (अध्ययन/संकाय के क्षेत्र में)	सेमेस्टर II के सफल समापन के उपरांत	**40–44**
6	अध्ययन/संकाय के क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा	सेमेस्टर IV के सफल समापन के उपरांत	**80–88**
7	बैचलर ऑफ (अध्ययन का क्षेत्र) (ऑनर्स) (एकल कोर संकाय के लिए कोर्स ऑफ स्टडी)	सेमेस्टर VI के सफल समापन के उपरांत	**120–132**
7	बैचलर ऑफ (फील्ड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी) (फॉर मल्टीपल कोर डिसिप्लिन ऑफ स्टडी)	सेमेस्टर VI के सफल समापन के उपरांत	**120–132**
8	बैचलर ऑफ (फील्ड ऑफ स्टडी/डिसिप्लिन) (ऑनर्स विद रिसर्च/एकेडेमिक प्रोजेक्ट उद्यमिता) संकाय (फॉर सिंगल कोर डिसिप्लिन कोर्स ऑफ सटडी)	सेमेस्टर VIII के सफल समापन के उपरांत	**160–176**
8	बैचलर ऑफ (फील्ड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेस ऑफ स्टडी) (ऑनर्स)	सेमेस्टर VIII के सफल समापन के उपरांत	**160–176**

परिशिष्ट III

औसत सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट तथा क्यूमिलिटिव ग्रेड प्वाइंट की गणना

$$SGPA = \Sigma(C_i \times G_i) / \Sigma C_i$$

जहां i^{th} कोर्स में क्रेडिट की संख्या तथा Ci उसी कोर्स में छात्र द्वारा अर्जित ग्रेड प्वाइंट है।

$$CGPA = \Sigma(C_i \times S_i) / \Sigma C_i$$

जहां i^{th} सेमेस्टर SGPA Si तथा उस सेमेस्टर में कुल क्रेडिट की संख्या है।

Table: Award of Grade based on absolute marks on a 10 point scale

Range of marks in %	Grade point	Letter grade	Grade
>90 to <=100	10	O	Outstanding
>80 to <=90	9	A+	Excellent
>70 to <=80	8	A	Very good
>60 to <=70	7	B+	Good
>50 to <=60	6	B	Above Average
>40 to <=50	5	C	Average
=40	4	P	Pass
< 40	0	F	Fail
Absent	0	Ab	Fail

विवरण

(i) किसी कोर्स में लेटर ग्रेड्स O, A+,A,B+,B,C तथा P अर्थात् छात्र उस विषय/कोर्स में उत्तीर्ण है।

(ii) ग्रेड F तथा Ab "फेल" को प्रदर्शित करता है :
छात्र परीक्षा में खराब प्रदर्शन या अनुपस्थिति/परीक्षा में अपूर्ण उपस्थिति के कारण फेल हो सकता है। ऐसे छात्रों को इस अध्यादेश के नियमानुसार आगामी परीक्षाओं में ऐसे सभी कोर्सेस में पुनः परीक्षा देनी होगी, जब तक पास ग्रेड्स न आ जाये।